न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 14 सन 2016

पंजीयन दिनांक :- 12.01.2016

1. मोहनलाल पिता कालूराम जाट - मृतक के बजाय
   1/1. शंकरी पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी गिरधारी जाट निवासी आरनी, तहसील राशमी, जिला चितौडगढ
   1/2. रोशन पुत्र स्व. मोहनलाल जाट निवासी चोथपुरा, तहसील भूपालसागर, जिला चितौडगढ
   1/3. बाली बाई पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी शंकरलाल जाट निवासी ढिली, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. ग्राम पंचायत अनोपपुरा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अनोपपुरा, पंचायत समिति भूपालसागर, तहसील कपासन, हाल तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महादेय चितौडगढ
3. तहसीलदार कपासन, जिला चितौडगढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी कपासन
प्रकरण संख्या 37/2009 आदेश दिनांक 29.05.2015

उपस्थित- 1. सत्यनारायण राव- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित
2. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांकः–20.12.2023

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 प्रतिवादी के विरूद्ध इन्द्राज दूरूस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चौथपुरा तहसील भूपालसागर में कुछ वर्षो पूर्व पैमाईश हुई। मौजा चौथपुरा की गत आराजी नम्बर 245/1 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 245/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 13 बीघा आबादी भूमि थी जो रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि का वर्तमान पैमाईश में कुछ रकबा आबादी में कुछ रकबा बिलानाम व चरनोट में दर्ज कर दिया। आराजी नम्बर 245/1 में से 1.43 हैक्टर का नया आराजी नम्बर 1359 कायम कर आबादी में दर्ज किया गया। पुराने 7 बीघा से कुछ कम है। आराजी नम्बर 245/1 का पुराना पैमाईश में 9 बीघा 10 बिस्वा रकबा था। करीब 2 बीघा 10 बिस्वा रकबा कम दर्ज किया। साबिक आराजी 245/2 में से 0.57 हैक्टर का नया आराजी नम्बर 1360 कायम कर आबादी में दर्ज किया गया। यह रकबा पूराने रकबे 3 बीघा 10 बिस्वा से कम दर्ज हुआ है। पुराने रकबे में दोनो आराजी 13 बीघा भूमि थी अर्थात 2.80 हैक्टर नया रकबा बनता है। उक्त दोनो आराजियात में कम अंकित किया गया। पैमाईश में 245 मीन सर्जन कर उसके नये पैमाईश नये नम्बर कायम किये गये जिसका रकबा आराजी नम्बर 245/1 व 245/2 के नये नम्बर 1354 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म चरनोट आराजी नम्बर 1480 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म चरनोट आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म चरनोट, आराजी नम्बर 1938/1341 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म बिलानाम 1946/1483 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म चरनोट, 1947/1440 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चरनोट कुल किता 6 कुल रकबा 0.92 हैक्टर कायम किये । उक्त कृषि आराजियात का पैमाईश वालों ने अनाधिकृत रूप से कायम किया उन्हें पुराने रेवेन्यु रेकार्ड में वर्णित आबादी भूमि को या उसके कुछ हिस्से से अपनी मन मर्जी से परिवर्तित करने का अधिकार नही था। यह सब कार्य गैर कानूनी है। इस परिवर्तन में रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी की ना तो सहमति थी और न ही स्वीकृति थी। कृषि भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने चौथपुरा के लोगो को प्लाट बनाकर नियमानुसार विक्रय या पट्टे से दी थी। जिस पर उनका करीब 35–38 वर्षो से निरन्तर कब्जा है। जिन लोगो को जिन तारीखों से पहले कब्जे दिये वो काबिज है। जिससे पूर्व में दर्ज रकबे की इन्द्राज दुरूस्ती करवाई जावें।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किया जाकर अपीलांट व रेस्पोडेंट 2 व 3 प्रतिवादीगण को तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया। वादपत्र के विचाराधीन रहते हुये अपीलांट मोहनलाल की ओर से पक्षकार मुकदमा कायम किये जाने का प्रस्तुत किया गया जिसको विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को पक्षकार मुकदमा कायम किया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 ने पक्षकार मुकदमा कायम होने के पश्चात वादपत्र का जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया ओर निवेदन किया कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1,2,3 में नवीन आराजी नम्बर 1938/1341 रकबा 0.07 हैक्टर बिलानाम आराजी नम्बर 1341 का ही भाग है। आराजी नम्बर 1341 अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी की है उक्त आराजी पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 अपने पिता कालूराम के जीवनकाल से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी कृषि आराजियात का इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री नवीन आराजी नम्बर 1938/1341 पर प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अन्य आराजियात के सम्बन्ध में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को किसी प्रकार की आपति व ऐतराज नही है। उक्त आशय का जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकियात कायम की व उक्त तनकियात पर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर उक्त पत्रावली को राजस्व केम्प कोर्ट जाशमा पर नियम की गई जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुये व गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 का काउण्टर क्लेम साबित होना नही मानते हुए व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 का काउण्टर क्लेम व रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी का वादपत्र निरस्त किया गया।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 ने इस न्यायालय में म्याद बहार अपील प्रस्तुत की व अपील में हुये विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी अपीलांट ने अपील म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथपत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय शपथ

राजस्व अपील प्राधिकारी

पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती हैं।

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये । सम्मन नोटिस तामिल होकर न्यायालय को प्राप्त हुये जो संलग्न पत्रावली किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर हमकिता पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार मुकदमा कायम हुआ था व अधीनस्थ विचारण न्यायालय में जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। उक्त काउण्टर क्लेम पर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये बगैर उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट जाशमा में नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित किये बगैर रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी का वादपत्र व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 का काउण्टर क्लेम प्रमाणित होना नही मानते हुये निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी का वादपत्र काउण्टर क्लेम प्रमाणित नही होना मानते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी का वादपत्र व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 का काउण्टर क्लेम निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से काउण्टर क्लेम के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। साथ ही अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को भी साबित होना नही मानते हुये काउण्टर क्लेम को निरस्त किया। आरजी नम्बर 1938/1341 प्रदर्श 2 के अनुसार बिलानाम सरकार भूमि है। बिलानाम सरकार भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 काउण्टर क्लेम के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
...गढ़ (राज.)

कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन प्रकरण संख्या 37/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 14/2016/डिक्री

1. मोहनलाल पिता कालूराम जाट - मृतक के बजाय
   1/1. शंकरी पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी गिरधारी जाट निवासी आरनी, तहसील राशमी, जिला चितौडगढ
   1/2. रोशन पुत्र स्व. मोहनलाल जाट निवासी चोथपुरा, तहसील भूपालसागर, जिला चितौडगढ
   1/3. बाली बाई पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी शंकरलाल जाट निवासी ढिली, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. ग्राम पंचायत अनोपपुरा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अनोपपुरा, पंचायत समिति भूपालसागर, तहसील कपासन, हाल तहसील भूपालसागर जिला चितौडगढ
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महादेय चितौडगढ
3. तहसीलदार कपासन, जिला चितौडगढ

-रेस्पोडेन्टगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन प्रकरण संख्या 37/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन प्रकरण संख्या 37/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ